

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF  
THE CRIMINAL  
CODE, 1898

In the court of . प्रतिष्ठा अवस्थी जेएमएफसी गोहद

प्रकरण क्रमांक 86 / 2018

Name and address of the complain म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस  
थाना एण्डोरी जिला प्रशासन भिण्ड म0प्र0

name, parentage, caste and address of accused-

1. हरीराम कुशवाह पुत्र मुन्नालाल कुशवाह उम्र 22 वर्ष
  2. उत्तम सिंह पुत्र श्री रामचवरन सिंह तोमर उम्र 21 वर्ष
- निवासीगण- ग्राम एण्डोरी थाना एण्डोरी गोहद जिला भिण्ड

The offence complained of, and date of its alleged commission

यह कि आप घटना दिनांक 05.05.2018 के रात्रि 21:40 बजे शिवनाथ तोमर की दुकान के पास आम जगह ग्राम एण्डोरी में अपने आधिपत्य में 46 ववाटर देशी शराब विधि विरुद्ध तरीके से बिना किसी आज्ञाप्ति के अवैध रूप से संग्रह कर विक्रय के आशय से रखे हुये पाये गये।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हो।

The plea of the accused and his examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक- ~~अपराध स्वीकार है~~

हरीराम

उत्तम सिंह

PA

16/5/18

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

## // निर्णय //

(आज दिनांक 16.05.18 को पारित किया गया)

- 1 अभियुक्त/अभियुक्तगण को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध की विशिष्टिया पढ़कर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है आरोपी/आरोपीगण की स्वेच्छा स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी/आरोपीगण को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
- 2 अभियुक्त/अभियुक्तगण के प्रथम अपराध होने एवं प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड अधिरूपित करने से ही न्याय के उद्देश्यों से ही पूर्ति हो सकती है।
- 3 फलस्वरूप आरोपी/आरोपीगण को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2000/- 2000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर बीस-बीस दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता है।
- 4 प्रकरण में जप्तशुदा शराब नष्ट की जावे।
- 5 आरोपीगण स्वतंत्र हो।

स्थान—गोहद

दिनांक— 16/05/18

निर्णय आज दिनांकित एवं  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

RA  
16/5/18  
(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
जेएमएफसी गोहद

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

RA  
16/5/18  
(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
जेएमएफसी गोहद